नई
12

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 91 / 2022(2022 /)

1. ललिता पत्नी भुवानाराम जाति मीणा निवासी भाण्डावास तहसील सावर जिला अजमेर।

———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. दुर्गालाल पुत्र श्री मन्दा लोधा।
2. रामनारायण पुत्र श्री छोटूलाल लोधा।
3. श्योजीराम पुत्र श्री छोटूलाल लोधा।

निवासीगण ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक।

4. जगदीश पुत्र श्री हीरा मीना।
5. भंवरलाल पुत्र श्री हीरा मीना।
6. रतनलाल पुत्र श्री हीरा मीना।

निवासीगण ग्राम डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक।

7. राज. सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब सावर।

——— अप्रार्थीगण

8. काना पुत्र श्री छोटू लोधा।
9. चौथमल पुत्र श्री छोटू लोधा।

निवासीगण ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक।

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री कमलेश कुमार।
अप्रार्थीगण वकील– जगदीश प्रसाद तेली।
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 9/6/2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम भाण्डावास तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2071–74** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
12–14	1511 / 1041 1512 / 1041	0.52 1.11	बारानी 3 बारानी 3
	कुल किता 2	रकबा 1.63हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थिया व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है तथा प्रार्थिया एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है वर्णित आराजी प्रार्थिया की स्वयं की आराजी है उपरोक्त आराजी प्रार्थीया व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है प्रार्थिया की उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडे होते है क्योंकि उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है साथ ही प्रार्थिया को अपने हिस्से की आराजीयात पर फस्ल सुरक्षार्थ तारबन्दी करवानी है इसलिये प्रार्थिया द्वारा पत्थरगढी का दावा करना लाजमी आया है प्रार्थिया व प्रफोर्मा

अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.07.22 11:28:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उपरोक्त आराजी की नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे मौके पर पुख्ता निशन कायम किये जा सके। ताकि ओय दिन प्रार्थिया को अप्रार्थीगण से विवाद नही करना पड़े एवं सौहाद पूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्यवाहियों में उलझना नही पडे इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थिया दिनांक 10.5.2022 को आराजीयात में आवश्यक कार्य करने गयी तो पडोसियों ने सीमा चिन्ह नही होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हों के अभाव में हमारे खेत में हकाई बुवाई भी नही करने दी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है प्रार्थिया ने पूर्व में भी आराजीयात का सीमा ज्ञान करने हेतु आवेदन किया, जिस पर दिनांक 06.5.2022 को उपस्थिति खातेदारान व अन्य व्यक्तियों में मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण नही माने रहे है अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3,4 व 6,8,9 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हमें कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा बावजूद तामिल की अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं के खातेदारी हिस्से की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम [illegible] तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2071–75 के खाता संख्या नया पुराना 12–14 के खसरा संख्या 1511/1041 व 1512/1041 के रकबा 0.52, 1.11 हैक्टर पर पत्थरगढी प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिको की टीम गठित करके की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी,
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.07.22 11:28:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner